

फर्द अहकाम
अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर
गिरधारी तिवारी बनाम विकास अधिकारी, बयाना
किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25.11.2019	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट गिरधारी तिवारी पुत्र मनोहोरी निवासी गांव बिडयारी तहसील बयाना , जिला भरतपुर की अपील विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी यह अपील विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लोटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पंचायत समिति बयाना के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p>	